#### <u>न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला –बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक-473 / 2005 संस्थित दिनांक-27.07.2005 फाईलिंग क.234503000312005

TO A TELD SHIPS

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट, कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला–बालाघाट (म.प्र.) — — — — — <u>अभियोजन</u>

## / / <u>विरूद</u> / /

1— कुंवरसिंह वल्द जोहन ढुलिया, उम्र—65 वर्ष, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—नरेन्द्र वल्द चैतराम ढुलिया, उम्र—25 वर्ष, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—बेतलराम वल्द कुंवरसिंह ढुलिया, उम्र—25 वर्ष, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—विजयकुमार वल्द कुंवरसिंह, उम्र—30 वर्ष, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5—उत्तम वल्द गुमान, उम्र—40 वर्ष, जाति ढुलिया निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6—धरमसिंह वल्द गुमान, उम्र—48 जाति ढुलिया, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

7—लोकसिंह पिता पकलसिंह, उम्र—50, जाति ढुलिया, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

8—प्रेमसिंह पिता बुधराम, उम्र—30, जाति ढुलिया, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

9—बुधराम पिता गोकल, उम्र— 35 वर्ष, जाति ढुलिया, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

10—बैगा पिता धरमसिंह, उम्र—28 वर्ष, जाति ढुलिया, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

11—लक्ष्मण पिता चन्दुआ, उम्र—45 वर्ष, जाति ढुलिया, निवासी—ग्राम चरचेण्डी, थाना बिरसा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — <u>आरोपीगण</u>

# // <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-03/03/2016 को घोषित</u>)

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा—26 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31 सहपठित धारा—51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—10.03.2005 को करीब 2:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र में आयुध कुल्हाड़ी के साथ अवैध रूप से प्रवेश कर हरे बांस काटे, जिससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान हुआ।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—10.03.2005 को वन परिक्षेत्र अधिकारी के अधिनस्थ कर्मचारी श्रमिक कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष कमांक—75 भुरसादादर बीट में गश्त कर रहे थे, तब जंगल में कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी तब गश्तीदल के सभी सदस्यों द्वारा घेराबंदी कर आरोपी कुंवरसिंह, नरेन्द्रसिंह, बेतलराम, विजय कुमार को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वे ग्राम चरचेण्डी के रहने वाले हैं और वे कुल 11 लोग बांस काटने के लिए कान्हा नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश कर बांस काट रहे हैं तथा उनके शेष 7

साथी फरार हो गए हैं। पकड़े गए आरोपीगण तथा फरार आरोपीगण के नाम कमशः उत्तम, धरमिसंह, लोकिसंह, प्रेमिसंह, बुधराम, बैगा, लक्ष्मण थे। आरोपीगण से पार्क के अंदर प्रवेश करने, बांस काटने के अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.कमांक—128/21, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा—26 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—27, 35 तथा सहपित धारा—51 के तहत् पंजीबद्ध किया गया। फरार आरोपीगण की तलाश की गई जिसके संबंध में तलाशी पंचनामा प्रकरण में संलग्न किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—26 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31 सहपठित धारा—51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—10.03.2005 को करीब 2:00 बजे कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र में आयुध कुल्हाड़ी के साथ अवैध रूप से प्रवेश कर हरे बांस काटे, जिससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान हुआ ?

### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— एन.एम. खान (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—10.03.2005 को परिक्षेत्र सहायक (वृत्त गढ़ी) जो कि भैंसानघाट के परिक्षेत्र कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला के अंतर्गत आता है में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके अधिनस्थ रामसिंह उंदे फॉरेस्टगार्ड ने इस प्रकरण का पी.ओ.आर. कमांक—128/21 एवं जप्ती कर चार आरोपी कुंवर, नरेन्द्र, बेतलराम और विजय कुमार को उसे सौंप कर प्रकरण की आगे विवेचना करने के लिए दिया था। उक्त पी.ओ.आर.

कक्ष क्रमांक-75 भुरसादादर बीट में 80 नग बांस काटने के संबंध में था। विवेचना के दौरान उसने आरोपीगण से बांस कटाई के संबंध में वैध परमिट और अनुमति के संबंध में पूछा था तो आरोपीगण ने बांस काटने की अनुमति व परमिट होना बताया था। विवेचना के दौरान उसने साक्षी रामसिंह उंदे फॉरेस्टगार्ड, दसरू, आरोपी कुंवरसिंह, नरेन्द्र, बैतलराम, विजय के बयान लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने उन्हें बताया था कि उनके साथ बांस काटने वाले अन्य सात व्यक्ति उन्हीं के गांव के थे, जो मौके पर फरार हो गए थे। फरार आरोपीगण की उसने विवेचना के दौरान पतासाजी किया था, किन्तु उन लोगों का कोई पता नहीं चला था। उक्त के संबंध में उसने पंचनामा प्रदर्श पी-7 बनाया था, जिस पर उसके तथा पंचो के हस्ताक्षर हैं। फरार आरोपीगण का और भी पंचनामा बनाया था, जो प्रदर्श पी-8 एवं प्रदर्श पी-9 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-10 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने आरोपी बैतलराम, विजयकुमार, नरेन्द्र कुमार एवं कुंवरसिंह को चिकित्सीय परीक्षण हेतु चिकित्सा फार्म भरकर भेजा था। चिकित्सा संबंधी आवेदन फार्म प्रदर्श पी-11 से लेकर प्रदर्श पी-14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने पूछताछ के दौरान उन्हें बताया था कि अपनी–अपनी कुल्हाड़ी से अन्य फरार आरोपीगण से मिलकर 80 नग बांस कोर एरिया से काटे थे। कोर एरिया में कटाई की शासन से कोई अनुमति नहीं दी जाती है।

6— दसरूसिंह यादव (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी नरेन्द्र, बैतलराम, विजयकुमार को जानता है, शेष आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2005 की दिन के 2:00 बजे की है। वह वनपाल, वनरक्षक के साथ जंगल गश्ती में था, तभी भुरसादादर जंगल में टंगिया से लकड़ी काटने की आवाज आई तो उन लोगों के द्वारा घेराबंदी कर चार आरोपीगण पकड़े थे तथा शेष आरोपीगण भाग गए थे, जिसमें कुंवरसिंह, नरेन्द्र, बैतलराम, विजय घटनास्थल कक्ष कमांक-75 में बीस-बीस बांस काटते पकड़े गए थे। उक्त घटनास्थल कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में आता है। आरोपीगण के पास बांस काटने के संबंध में कोई कागज नहीं थे। उसने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-15 बनाया गया था, जिसमें उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चारों आरोपीगण से बीस-बीस बांस और एक कुल्हाड़ी जप्त की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-16 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पी.ओ.आर.

चारों आरोपीगण के विरूद्ध काटी गई थी। उसके समक्ष चारों आरोपीगण का बयान लिया गया था, जो प्रदर्श पी—3 लगायत प्रदर्श पी—6 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा पंचनामा प्रदर्श पी—7 व 8 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- सुशीलाबाई (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-10.03.2005 को गढ़ी वृत्त के भुरसादादर कैम्प में श्रमिक के रूप में कार्यरत् थी। उक्त दिनांक को वह महिपाल सिंह धुर्वे, उद्देसिंह, दसरू, सुकेसनीबाई के साथ कक्ष क्रमांक-75 में गश्त कर रही थी, तब करीब 2:00 बजे किसी के द्वारा काटने की आवाज सुनाई दी, तब उन लोगों ने घेरा डालकर चार आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की तो उन्होंने कुल 11 लोगों का होना बताया था। उनके पास लगभग 80 बांस कटे हुए और 4 नग कुल्हाड़ी मिली थी। उसके समक्ष मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-15 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा जप्तीनामा फार्म तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पी.ओ.आर. की कार्यवाही की गई थी, जो प्रदर्श पी-17 है। उसके समक्ष आरोपी कुंवरसिंह, नरेन्द्र, बेतलराम, विजयकुमार के कथन हुए थे, जो प्रदर्श पी-3 से प्रदर्श पी-6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने अपने बयान में बांस काटने के लिए आना बताया था और उनके पास बांस काटने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं थे। जो आरोपीगण पकड़े गए थे, उनके द्वारा अन्य आरोपीगण भी पकड़े गए थे, जिनके नाम उसे याद नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया है कि चारो आरोपीगण ने अन्य ७ आरोपीगण का नाम बताया था। 🔷
- 8— परिवादी एस.के. मिश्रा (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक—10.03.2005 को परिक्षेत्र कार्यालय भैंसानघाट में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा पी.ओ.आर. क्रमांक—128/21, दिनांक—10. 03.2005 की विवेचना हेतु परिक्षेत्र सहायक नूर मोहम्मद खान को निर्देशित किया गया था। उक्त पी.ओ.आर. से संबंधित विवेचना पूर्ण कर विवेचनाकर्ता ने संपूर्ण दस्तावेज जांच हेतु उसके समक्ष रखे थे। उक्त दस्तावेजों की सत्यता उपरान्त उसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रदर्श पी—18 का परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जांच के दौरान पी.ओ.आर. से संबंधित समस्त दस्तावेजों पर प्रदर्श पी—1 एवं प्रदर्श पी—3 से लगायत 16, 19 के ई से ई भाग पर प्रतिहस्ताक्षर किया था। प्रदर्श पी—17 के पी.ओ.आर. में विवेचना हेतु निर्देशित किया गया था, जिस

पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- रामसिंह उद्दे (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-10.03.2005 को फुलबारी बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह भुरसादादर केम्प के कक्ष कमांक-75 में गश्ती कर रहा था। उस समय उसके साथ केम्प श्रमिक एवं महिला श्रमिक तथा वनपाल महिपालसिंह धुर्वे भी थे। उक्त कक्ष कमांक में बांस काटने की आवाज सुनाई दी तो उन लोगों ने घेराबंदी कर चार लोगों को पकड़ा, जिन्होंने अपना नाम कुंवरसिंह, नरेन्द्रसिंह, बेतलराम तथा विजय कुमार होना बताया था। उक्त चारों आरोपीगण से बीस-बीस हरे बांस तथा एक नग कुल्हाड़ी जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-16 बनाया था, जिस पर उसके तथा आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-128/21, दिनांक-10.03.2015 प्रदर्श पी-17 काटी गई थी, जो उसकी हस्तलिपि में है। उसने अपना बयान परिक्षेत्र सहायक को लेख कर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चारों आरोपीगण से पूछताछ में उन्होंने सात-आठ आरोपी के फरार होने के बारे में बताया था, जिनके नाम नहीं बताए थे। पंचनामा प्रदर्श पी-8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरार आरोपी के घर पर जाकर पतासाजी नहीं की थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर चार आरोपीगण को पकड़ा गया था, शेष भाग गए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण ने उसे पूछताछ के दौरान घटनास्थल से फरार आरोपीगण के नाम बताए थे।
- 10— सुकेसनी बघेल (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—10.03.2005 को भुर्सा दादर में महिला श्रमिक कार्य करती थी। उक्त दिनांक को वे भुर्सा दादर के कक्ष क्रमांक—75 में बन गश्ती कर रहे थे, जहां पर चरचेण्डी के 11 लोग हरे बांस काट रहे थे, उन लोगों ने घेराबंदी कर चार लोगों को पकड़ा था और शेष सात लोग फरार हो गए थे। जिन चार आरोपीगण को उन लोगों ने अपना नाम नरेन्द्र, विजय, कुंवरसिंह, बेतलराम होना बताया था। उसके समक्ष मौके का पंचनामा वनरक्षक रामसिंह ने बनाया था, जो प्रदर्श पी—15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चारों आरोपीगण से बीस—बीस हरे बांस व एक—एक नग कुल्हाड़ी जप्त की गई थी।
- 11— प्रकरण में मुख्य रूप से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही

महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है। जप्ती अधिकारी रामिसंह उद्दे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—16 के अनुसार चार आरोपीगण से 20—20 हरे बांस व एक नग कुल्हाड़ी जप्त किया जाना बताया है। अभियोजन मामलें के अनुसार मौके पर 11 आरोपीगण ने कथित बांस के वृक्ष काटे हैं। ऐसी दशा में मात्र चार आरोपीगण से ही समान मात्रा में हरे बांस के वृक्षों की जप्ती बताया जाना त्रुटिपूर्ण एवं संदेहास्पद प्रकट होता है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने न्यायालय में उपस्थित होने के पूर्व पूरी फाईल का अध्ययन कर लिया था और उसके बाद वह बयान दे रहा है और उसी आधार पर उसने आरोपीगण के नाम एवं बांसो की संख्या भी बताया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में कथित रूप से जप्ती की कार्यवाही एवं पी.ओ.आर. जारी करने के संबंध में की गई कार्यवाही त्रुटिपूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है।

जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही के पंच साक्षी के रूप में विभागीय कर्मचारी दसरूसिंह (अ.सा.2), सुशीलाबाई (अ.सा.3) एवं सुकेसनीबाई (अ.सा.6) की साक्ष्य अभियोजन की ओर से कराई गई है। दसरूसिंह (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण में जितने भी दस्तावेज जप्ती अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कराए थे, वे सभी हस्ताक्षर उसने परिक्षेत्र कार्यालय में किये थे तथा उसका बयान परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण के कथन उसके समक्ष नहीं लिए गए थे और न ही उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। अन्य पंच साक्षी सुशीलाबाई (अ. सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि किन-किन व्यक्तियों को पकड़ा गया था, वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण के नाम भी नहीं बता सकती और उनके क्या बयान लिये गए थे, उसे याद नहीं है। उसने अधिकारी के कहने पर पंचनामा पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसी प्रकार अन्य पंच साक्षी सुकेसनीबाई (अ.सा.६) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसने गवाही देने के पूर्व फाईल का अध्ययन कर लिया था और उसी आधार पर आरोपीगण के नाम बताई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बांस किस-किस ने काटे थे, वह नहीं बता सकती। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका बयान नहीं लिया गया था। इस प्रकार जप्ती कार्यवाही के उक्त सभी विभागीय पंच साक्षीगण ने अपने मुख्य परीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष

के द्वारा दिए गए सुझाव को स्वीकार किया जाने से जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। वास्तव में उक्त पंच साक्षीगण के कथन से जप्ती अधिकारी की कार्यवाही को पूर्णतः समर्थन भी प्राप्त नहीं होता है।

13— प्रकरण में आरोपीगण का बयान लेख करने वाले परिक्षेत्र सहायक एन.एम. खान (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में केवल यह बताया है कि उसने आरोपी कुंवरसिंह, नरेन्द्र, बेतलराम व विजय का बयान प्रदर्श पी—3 लगायत प्रदर्श पी—6 लेख किया था। यद्यपि साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि उक्त बयान में आरोपीगण ने मौके पर पेड़ काटने की स्वीकारोक्ति की थी। कथित स्वीकारोक्ति वाले बयान लेख करने का अन्य किसी साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में समर्थन भी नहीं किया गया है।

14— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी ने आरोपीगण को मौके पर पेड़ काटते हुए देखे जाने के कथन नहीं किये है, बिल्क कथित रूप से पेड़ काटने की आवाज सुनकर घेरा डालकर चार आरोपीगण को पकड़े जाने के आधार पर उनसे तथाकथित 20—20 बांस की जप्ती बनाई गई है। वास्तव में प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मौके पर कटे हुए बांसों की संख्या को समान रूप से चार आरोपीगण में विभाजित कर औपचारिक रूप से जप्ती की कार्यवाही की गई है, जो कि स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। तथाकथित फरार सात आरोपीगण के विरुद्ध उपरोक्त चार आरोपीगण के स्वीकारोक्ति के बयान व जानकारी के आधार पर परिवाद पेश किया जाना प्रकट होता है, किन्तु उनके विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं है।

अभियोजन का संपूर्ण मामला आरोपी कुंबरसिंह, नरेन्द्र, बेतलराम, विजय की स्वीकारोक्ति वाले बयान पर निर्भर है। यद्यपि मात्र स्वीकारोक्ति के आधार पर एवं अन्य साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। यदि तर्क के लिए सभी आरोपीगण की स्वीकारोक्ति के बयान को प्रमाणित मान भी लिया जाए तो भी प्रकरण में जो पारिस्थितिक साक्ष्य प्रकट हुई हैं, वे संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। वास्तव में किसी भी साक्षी के द्वारा उक्त आरोपीगण को कथित 80 नग बांस के पेड़ काटते हुए नहीं देखा गया है। मात्र गश्ती के दौरान वन अधिकारी के द्वारा मौके पर कटे हुए बांस को देखकर उक्त आरोपीगण से पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया जाना बताया है। यदि वास्तव में उक्त हरे बांस के पेड़ कटा होना

प्रमाणित मान भी लिया जाए तो भी मात्र आरोपीगण के बयान के आधार पर अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध हेतु दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस कोर क्षेत्र में कथित बांस कटे हुए पाए गए हैं, उसके संबंध में प्रमाणित नक्शा पेश कर नजरीनक्शा को प्रदर्श नहीं कराया गया है। उक्त के अभाव में भी यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि कथित घटनास्थल कोर जोन का था।

- वचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि कोर जोन के पास से गुजरते हुए चार आरोपीगण को पकड़कर उनके विरूद्ध झूटा मामला तैयार किया गया है। इस संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के परिशीलन से इस अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कथित बांस को पूर्व से काटा गया था और घटना के समय आरोपीगण घटनास्थल के पास से गुजरते हुए पकड़े जाने पर उन्हें तथाकथित अपराध हेतु अभियोजित किया गया है। उक्त सभी पारिस्थितिक साक्ष्य एवं तथ्य से तथा जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण व संदेहास्पद कार्यवाही के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 17— उक्त सभी कारण से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने कथित घटना दिनांक को कान्हा नेशनल पार्क के कक्ष क्रमांक—75 भुरसादादर बीट क्षेत्र में आयुध कुल्हाड़ी के साथ अवैध रूप से प्रवेश कर हरे बांस काटे, जिससे वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान हुआ। फलतः आरोपीगण को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा—26 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा—27, 29, 31 सहपठित धारा—51 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।
- 18— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 19— प्रकरण में आरोपी नरेन्द्र, बेतलराम, विजयकुमार, कुंवरसिंह दिनांक—11.03. 2005 से दिनांक—14.03.2005 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहें हैं, शेष आरोपी लक्ष्मण, बैगा, लोकसिंह, उत्तम, प्रेमसिंह, धरमसिंह, बुधराम न्यायिक अभिरक्षा में नहीं हैं। उक्त के संध में धारा—428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 4 नग कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

ATTACAN PARENTA PARENT

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट